षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 25 आषाढ़, 1941 (श०) / 16 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 125

(1)	शिक्षा विभाग ..	67
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग ..	03
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग ..	16
(4)	समाज कल्याण विभाग ..	16
(5)	परिवहन विभाग ..	07
(6)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ..	02
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ..	01
(8)	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ..	01
(9)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ..	09
(10)	खान एवं भूतत्व विभाग ..	03
	कुल योग --	125

सड़क किनारे सूखे पेड़ों को हटाना

'क'-*644. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर नगर के मुख्य मार्ग पर तिलका मांझी से जेल रोड एवं एस0 एम0 कॉलेज सड़क के किनारे पेड़ सूख गये हैं, ये सूखे पेड़ बरसात एवं आँधी में गिर जाने पर आवागमन बाधित हो जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क के किनारे से सूखे पेड़ों को कबतक हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन योजना सुचारू रूप से चलाना

'ख'-*684. श्री (मोहम्मद) नवाज आलम--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत जिन गरीब व्यक्तियों की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और उनका आधार कार्ड में 60 वर्ष आयु दर्ज है, ऐसे गरीब व्यक्ति का पेंशन बनाया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर के आरा प्रखंड में पेंशन बनवाने हेतु वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड में भी 60 वर्ष होने का प्रमाण प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा द्वारा माँगा जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री पेंशन योजना का कार्य आरा में पूर्ण नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा प्रखंड में उक्त योजना का संचालन सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*1216. श्री मुद्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड स्थित बेलौर पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बेलौर में विद्यालय भवन का निर्माण नहीं होने से छात्र/छात्रायें खुले आसमान के नीचे पठन-पाठन को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

12वीं कक्षा तक संचालित करना

*1217. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के ग्राम-श्यामनगर, नीमा एवं बलियारी में मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2011 में उत्क्रमित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा दस तक ही पढ़ाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों माध्यमिक विद्यालयों को 12वीं कक्षा (10+2) तक संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक हैं ।

(2) स्वीकारात्मक हैं ।

(3) विभागीय पत्रांक 939, दिनांक 1 जून, 2018 द्वारा उक्त माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उच्च माध्यमिक शिक्षा का संचालन कराते हुये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक विद्यालय का कोड प्राप्त करेन का निदेश दिया गया है ।

नोट--'क'-दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सदन के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्था0 ।

'ख'-दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा समाज कल्याण विभाग में स्था0 ।

दोषियों पर कार्रवाई करना

*1218. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिन्द प्रखंड मुख्यालय स्थित बिन्द उच्च विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में खरीद की गयी प्रयोगशाला सामग्री एवं उपस्कर सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को साप्ताहिक प्रैक्टिकल नहीं कराई जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण कराना

*1219. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरसोई प्रखंड के शिवानन्दपुर पंचायत में उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में उच्च विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1220. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परसांवा पंचायत के नव-सृजित प्राथमिक विद्यालय, रूपसपुर का अपना भवन नहीं है, जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 300, दिनांक 18 अगस्त, 2015 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व-शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, गया को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जा चुका है, यदि हाँ, तो सकरार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*1221. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड स्थित रंजीतपुर पश्चिमी, भासर उत्तरी, बिशनपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना नहीं रहने से छात्रों का पठन-पाठन कार्य नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1222. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखण्ड में स्थित एस0 बी0 जे0 एस0 उच्च विद्यालय का क्रीड़ा मैदान स्टेडियम निर्माण कि अर्हता को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एस0 ई0 सी0 सी0 से जोड़ना

*1223. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कबीर अंत्येष्ठि योजना के तहत राज्य के बी0 पी0 एल0 परिवार के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को अंत्यष्ठि के लिए 3000 रुपये की सहायता दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 के बाद बी0 पी0 एल0 की कोई नई सूची नहीं बनी है, जिससे इसी योजना के तहत बहुत से सामान्य परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस योजना को एस0 ई0 सी0 सी0 (Socio Economic and Caste Census) से जोड़ देने से ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबीर अंत्येष्ठि योजना को एस0 ई0 सी0 सी0 से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई

*1224. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुशहरी प्रखंड स्थित द्वारिकानगर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा ली जाने वाली नामांकण की राशि एवं रजिस्टर पंजी में विसंगति है, साथ ही प्रबंधन कमिटी द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन वर्तमान प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराकर दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवनों का निर्माण

*1225. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इसलामपुर प्रखंड में पंचायत चैंधारी के ग्राम खरजम्मा तथा ग्राम दानापुर में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*1226. डॉ0 अशोक कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा प्रखंड के बी0 बी0 एन0 उच्च विद्यालय, रोसड़ा में वर्ष 2011-12 में चार अतिरिक्त कमरों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, किन्तु अभीतक निर्माण कार्य हेतु राशि का आवंटन नहीं किया गया है, जबकि वर्ग कक्ष की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय हेतु स्वीकृत वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1227. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज देवराम अमैठी की मुखिया के पत्रांक 103, दिनांक 9 सितम्बर, 2018 द्वारा सरकार को इस पंचायत के ग्राम रामनगर पश्चिमी भाग सहित 6 गाँवों में नवसृजित प्रा0 वि0 खोलने का पत्र लिखा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित पंचायत के वर्णित ग्रामों में नवसृजित प्रा0 विद्यालय खोलने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्रांक 103, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में उल्लिखित पत्र में वर्णित गाँवों में नवसृजित प्रा0 वि0 खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*1228. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर प्रखंड के उच्च विद्यालय मोहिउद्दीननगर का भवन 10 वर्षों से जर्जर है, जिसके कारण यहाँ के विद्यार्थियों को पठन-पाठन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन

*1229. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद पिछले चार वर्षों से रिक्त रहने के कारण प्रभार से काम चलाया जा रहा है, जिससे शैक्षणिक एवं निरीक्षण कार्य में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में पूर्णकालिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजनाएँ पुनः चालू करना

*1230. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा संचालित कबीर अंत्येष्ठि अनुदान योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संपूर्ण बिहार में पिछले तीन वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों योजनाओं के बंद होने के कारण राज्य के गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं को पुनः चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1231. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया सदर प्रखंड के जिला मुख्यालय में स्थित श्यामलाल +2 उच्च विद्यालय और मेहसौढ़ी +2 उच्च विद्यालय जर्जर भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त +2 उच्च विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चयन करना

*1232. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत किसनपुर पंचायत की श्रीमती पूजा कुमारी, पति-श्यामल कुमार मण्डल, सा०- लालबथानी, पो० हेमकुंज, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार को 65.8 और इनके बाद अर्चना कुमारी, पति-विवेक मण्डल को 58 प्राप्तांक रहते हुये इन दोनों उम्मीदवारों से कम 56.6 अंक वाली उम्मीदवार ममता कुमारी, पति-अरूण मण्डल का चयन आँगनबाड़ी सेविका के रूप में जून, 2018 में महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती शशि सिन्हा ने कर लिया, यदि हाँ, तो क्या सरकार योग्यता के आधार पर चयन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण कराना

*1233. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय स्थित अम्बेदकर कल्याण छात्रावास के कैम्पस में अधीक्षक आवास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अधीक्षक आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाल रखना

*1234. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्लस टू उच्च विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों के 366 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये, चयनित 329 अभ्यर्थियों में से 150 शिक्षकों ने दिनांक 8 सितम्बर, 2018 तक योगदान किया ;

(2) क्या यह बात सही है कि औपबंधिक मेधा सूची के पैनल से 209 रिक्त पदों के विरुद्ध ज्ञापांक 401, दिनांक 10 नवम्बर, 2018 द्वारा पुन: नियुक्ति की गयी जिसमें से 77 अतिथि शिक्षकों ने योगदान किया ;

(3) क्या यह बात सही है कि निदेशक, मा० शि० के पत्रांक 267, दिनांक 14 मई, 2019 द्वारा 77 अतिथि शिक्षकों की टाइम बार हो जाने के कारण हटाये जाने का निर्देश दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैनल से ही नियुक्त 77 अतिथि शिक्षकों की सेवा को बहाल रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार करना

*1235. श्री राजू तिवारी--क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड में स्थित महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय में बना स्टेडियम जर्जर हो गया है, जिसके कारण स्टेडियम में खेलने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड में स्थित महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय में बने स्टेडियम की विस्तृत जानकारी सहित जीर्णोद्धार हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय पत्रांक 699, दिनांक 27 जून, 2019 द्वारा मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

उत्क्रमण करना

*1236. श्रीमती अरुणा देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण की सारी शर्तों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कला एवं संस्कृति केन्द्र खोलना

*1237. श्री राम विलास पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड में कला एवं संस्कृति केन्द्र नहीं होने से क्षेत्र के युवाओं को कला एवं संस्कृति संबंधी ज्ञान प्राप्त करने हेतु भागलपुर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कला एवं संस्कृति केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*1238. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया बाजार के समीप एन० एच०-28बी के सटे पी० डब्लू० डी० की खाली जमीन है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाली जमीन पर पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1239. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड के कोथुआं पंचायत के धनपुरा ग्राम के पिछड़ी जाति बहुल वार्ड नं० 7 में पीरो प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा गलत सर्वे कराकर अति पिछड़ा वर्ग के लिये सेविका एवं सहायिका का पद घोषित करना चाहती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर पिछड़ी जाति के उम्मीदवार की सेविका/सहायिका पद पर नियुक्ति करने एवं उक्त कृत्य के लिये दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने में विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों का भवन निर्माण कराना

*1240. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखण्ड के हिरनाटांड एवं सिझुआ ग्राम में स्थित विद्यालयों के भवन न होने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों गाँवों में स्थित विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1241. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखण्ड में राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय अविस्थत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में विगत 2 वर्ष पूर्व छः कमरों का भवन का निर्माण प्राक्कलन के विरुद्ध कराये जाने के कारण उक्त कमरों की स्थिति जर्जर हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कमरों के निर्माण से संबंधित गुणवत्ता की जाँच कराते हुये दोषी संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमण आदेश पर पुनर्विचार करना

*1242. श्रीमती वर्षा रानी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड अन्तर्गत तेलघी ग्राम में वर्ष 1984 से एक अनुदानित बालिका उच्च विद्यालय चल रहा है और उसी विद्यालय परिसर में स्थित मध्य विद्यालय, तेलघी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर एक साथ दो-दो उच्च विद्यालयों को एक ही परिसर में परिचालित करने की अनुमति दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक ही परिसर में दो-दो उच्च विद्यालयों का परिचालन से शैक्षणिक गुणवत्ता एवं अनुशासन प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालय के उत्क्रमण आदेश पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*1243. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड शिवसागर के उच्च विद्यालय, अकोढ़ा में खेल के मैदान के लिये 2.50 एकड़ भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की उपलब्ध भूमि पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड के श्री दुर्गा उच्च विद्यालय, शिवसागर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 80, दिनांक 17 फरवरी, 2009 द्वारा दी जा चुकी है।

अतएव एक प्रखण्ड में अन्य स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

बकाया राशि का भुगतान

*1244. श्री लाल बाबू राम--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा एवं मुरौल प्रखण्ड में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि वर्ष 2017 से लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना की बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*1245. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखण्ड के नगर पंचायत वार्ड-2 में स्थित मध्य विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मैदान की घेराबंदी करना

*1246. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय स्थित आर०बी० कॉलेज खेल मैदान की घेराबंदी न होने से खेल प्रतियोगिता कराने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।

समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखण्ड के क्षत्रधारी उच्च विद्यालय, दलसिंहसराय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 94, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा दी जा चुकी है ।

मैदान की घेराबंदी से संबंधित कोई भी योजना विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित नहीं है ।

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*1247. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड में कलवन पंचायत के बेलदार बिगहा एवं डोभी प्रखण्ड में कुरमामां पंचायत के सपालों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि बेलदार बिगहा के बच्चों को जी० टी० रोड पार कर एवं सपालों के बच्चों को नदी पार कर दूसरे गाँव में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आमस प्रखण्ड के बेलदार बिगहा एवं डोभी प्रखण्ड के सपालों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कदम उठाना

*1248. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पर्यावरण संरक्षण में कमी के कारण इस वर्ष औरंगाबाद, गया, पटना, नवादा सहित एक दर्जन जिला लू की भीषण चपेट में रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसके लिये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन प्रारम्भ करना

*1249. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कार्यालय भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के पत्रांक 825, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रधान सचिव, निबंधन विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया है, जिसमें दिनांक 1 मई, 2017 के पूर्व निर्माण हो चुके भवन/फ्लैट/बिक्रीनामा/किरायानामा/बंधकनामा/हस्तांतरण के लिये (RERA) का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, जबकि राज्य के सभी निबंधन कार्यालय द्वारा (RERA) रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करने के लिये बाध्य किया जा रहा है तथा जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पत्र के आलोक में जिला निबंधन कार्यालय द्वारा (RERA) रजिस्ट्रेशन संख्या उक्त विषय पर खत्म करके राज्य के सभी भू-खंडों एवं फ्लैटों का रूका हुआ निबंधन कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्वीकृति एवं भवन निर्माण

*1250. श्री लाल बाबू राम--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड सकरा में दिहुली पंचायत के ग्राम-सिमरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय खोलने हेतु स्थल का चयन जून, 2018 में किया गया था, लेकिन अभीतक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1251. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा एवं फलका प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लिपिकों का स्थानांतरण करना

*1252. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के प्रमंडलीय संवर्ग के लिपिकों का स्थानान्तरण तीन वर्ष बाद किये जाने के प्रावधान के तहत क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा तीन वर्षों से अधिक दिनों से पदस्थापित लिपिकों का स्थानांतरण जून, 2019 में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानांतरण आदेश में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना में सत्रह वर्षों से पदस्थापित एक लिपिक तथा नौ वर्षों से पदस्थापित दो लिपिकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित लिपिकों का स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र का संचालन निर्मित भवन से कराना

*1253. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड के नरहरिपुर पंचायत के वार्ड नं० 3 में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 63 का भवन निर्मित है, परन्तु केन्द्र का संचालन पाँच वर्षों से मध्य विद्यालय, जगदीश में हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त केन्द्र का संचालन अपने निर्मित भवन से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*1254. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के डुमरी उत्तरी पंचायत स्थित नव-सृजित प्राथमिक विद्यालय, चपड़ा विगत 14 (चौदह) वर्षों से बिना भवन के चल रहा है, जिसके कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पैसा एवं कमीशन दिलाना

*1255. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अन्तर्गत बालू खुदरा लाइसेन्सधारियों को इनवाईस काटने के लिये लिया गया राशि एवं कमीशन अभीतक नहीं दिया गया है, जबकि कोईलवर प्रखण्ड अन्तर्गत दिनांक 21 मार्च, 2018 को इनवाईस काटने का कार्य बन्द करा दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराकर सभी लाइसेन्सधारियों का इनवाईस का पैसा एवं कमीशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1256. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के सदर प्रखण्ड स्थित रामनंदन सिंह उच्च विद्यालय, मोहनपुर को स्टेडियम निर्माण हेतु 33 लाख 21 हजार 700 सौ रुपये आवंटित की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवंटित राशि वापस ले ली गई, जिससे स्टेडियम निर्माण का कार्य नहीं हो सका;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राशि को पुन: निर्गत कर उक्त स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

बेगूसराय जिले के मोहनपुर प्रखण्ड स्थित रामनंदन सिंह उच्च विद्यालय, मोहनपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 80, दिनांक 17 फरवरी, 2009 द्वारा दी गयी है तथा 33,21,700 रु0 मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि भवन निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त स्थल विभागीय मानक से कम है । इस कारण जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा राशि वापस कर दिया गया है ।

(3) जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से उक्त स्थल पर स्टेडियम निर्माण में हो रही समस्या का समाधान करने अथवा मोहनपुर प्रखण्ड के किसी अन्य स्थल पर स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 524, दिनांक 15 मई, 2017, पत्रांक 1377, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017, प्रथम स्मार 58, दिनांक 18 जनवरी, 2018, द्वितीय स्मार 565, दिनांक 11 अप्रील, 2018, पत्रांक 488, दिनांक 7 मई, 2019 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

समस्या का समाधान अथवा अन्य स्थल का प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

10+2 में उत्क्रमित करना

*1257. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखण्ड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (10+2) की स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त प्रखण्ड के छात्र एवं छात्राओं को 10+2 की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्यत्र स्थानों पर आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में स्थित किसी उच्च विद्यालय को 10+2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1258. श्री (मो0) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरपुर प्रखण्ड में एल0 आर0 पी0 चौक पर सरकारी बस स्टैंड स्थापित है, उक्त बस स्टैंड से दिघल बैंक एवं ठाकुरगंज प्रखंडों के लिए सरकारी बस का परिचालन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों के लिए सरकारी बस का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1259. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा 1 प्रखंड के टेसरहिया-बथुरिया पंचायत के मानपुर मठिया में स्थित बुनियादी विद्यालय के 780 बच्चे भवन के अभाव में विद्यालय के प्रांगण में पठन-पाठन को विवश है;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय परिसर में भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियोजित शिक्षकों को लाभ देना

*1260. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में निहित प्रावधानों के अनुसार 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी निजी या सरकारी संस्थानों के नियमित/संविदा/आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति/नियोजित सभी कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ कराना

*1261. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के अधिकांश छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा डिग्री की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में स्थित महंथ भरत दास इंटर महाविद्यालय, रामपुर में डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*1262. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के तरारी विधान सभा क्षेत्र के कोलाडिहरी गाँव के लालबागी प्राथमिक विद्यालय, सहार एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, सहार का भवन जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी प्राधानाध्यापक एवं शिक्षक का पदस्थापन

*1263. श्री रामप्रीत पासवान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत खुशरूपुर प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय निर्मलीचक में प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का पद रिक्त है, जिससे पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में रिक्त स्थायी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1264. श्री जीवेश कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के कटका पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दतसील का भवन जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी अनुदान देना

*1265. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड स्थित कोसी दिव्यांग संस्था की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, जिसमें दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क सामान्य शिक्षा एवं आवासहीन छात्र को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संस्था को सरकारी अनुदान नहीं मिलने से वर्ष 1998 से यह संस्था बंद है, जबकि इसके पास अपना 3 एकड़ जमीन तथा 40 छात्रों के आवास एवं अध्ययन के लिये पर्याप्त व्यवस्था है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड स्थित कोसी दिव्यांग संस्था को सरकारी अनुदान देने एवं सुचारु रूप से संचालन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सेवा सामंजन योगदान की तिथि से करना

*1266. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला नव-अंगीभूत एम0 एल0 एस0 एम0 कॉलेज, दरभंगा के राजनीति शास्त्र विषय के शिक्षक पूर्ण योग्यताधारी डॉ0 नन्द लाल पासवान की सेवा सामंजन रिक्ति के बावजूद Death and Retirement पद पर पहली जुलाई, 2016 से की गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विषय में माननीय एस0 बी0 सिन्हा आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 2703/17 द्वारा कुल 5 दावेदारों की सेवा सामंजन के उपरान्त माननीय अग्रवाल आयोग की IV A सूची में 2 सहायक प्राध्यापक का पद रिक्त रहते हुये भी श्री पासवान की सेवा सामंजन Death and Retirement पद पर किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री पासवान की सेवा सामंजन योगदान की तिथि से करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1267. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सत्तर कटैया प्रखंड के उच्च विद्यालय, मेनहा में खेल का मैदान है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उच्च विद्यालय स्थित खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया प्रखंड के प्रियवर्त उच्च विद्यालय, पटोरी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 106, दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतएव एक प्रखंड में अन्य स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

भवन निर्माण कराना

*1268. श्री जीवेश कुमार--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड में आँगनबाड़ी केन्द्र की कुल संख्या 253 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 253 संचालित केन्द्र में 157 केन्द्र के पास अपना भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1269. श्रीमती रंजू गीता--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन बसहा पश्चिमी पूर्वी पंचायत में कचहरीपुर के पास 4 एकड़ का मैदान अवस्थित है जो अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की सभी अर्हता रखती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थल पर अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के आदर्श उच्च विद्यालय, बाचोपट्टी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 239, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतएव एक प्रखंड में अन्य स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

रिक्त पदों पर नियुक्ति करना

*1270. श्री शिवचंद्र राम--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जून, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''टी0 ई0 टी0 की प्रमाण-पत्र की वैधता बढ़ी'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2012 में टी0 ई0 टी0 के उत्तीर्ण 65,984 और एस0 टी0 ई0 टी0 के उत्तीर्ण 16,196 यानी कुल 82,180 अभ्यार्थी ऐसे हैं, जिनका नियोजन अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक टी0 ई0 टी0 एवं एस0 टी0 ई0 टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1271. डॉ0 फैयाज अहमद--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सभी प्रखंडों में स्टेडियम एवं खेल ग्राउन्ड बनाने का निर्णय वर्ष 2006 में लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंडान्तर्गत कपिलेश्वर स्थान एवं मकसुदा में स्टेडियम बनाने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उपलब्ध सरकारी भू-खंड में से किसी एक पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष निर्माण कराना

*1272. श्री राजकुमार राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय मालदह एवं उच्च विद्यालय, आतापुर नकूनी में छात्र-छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्ष का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालयों में समुचित वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*1273. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत ग्राम-मंझौली, पोस्ट-विदुपुर (आरएस निवासी श्री राम नगीना चौधरी) बतौर वैशाली जिले के विभिन्न विद्यालयों में 26 मार्च, 1962 से 30 जून, 1997 तक सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री राम नगीना चौधरी की नौकरी के दौरान उनके वेतन के काटे गये भविष्य निधि की राशि सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध कराना था, जो आज तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, इसी बीच 13 जनवरी, 2018 को उनकी मृत्यु हो गई ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सेवानिवृत्त शिक्षक, स्व0 राम नगीना चौधरी की पत्नी शैल देवी को उनके भविष्य निधि की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*1274. श्री राजेंद्र कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मधुरापुर पंचायत के सभी गाँवों से उच्च विद्यालय की दूरी 10 कि0 मी0 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुरापुर मध्य विद्यालय के पूर्व भूमिदाता द्वारा मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराये जाने की सहमति के बावजूद सरकार द्वारा मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुरापुर मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फुटबॉल ग्राउंड घोषित करना

*1275. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु फुटबॉल खिलाड़ियों को सालों भर खेलने का अभ्यास करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना शहर में कोई मैदान फुटबॉल खिलाड़ियों के लिये निर्धारित नहीं रहने के कारण राज्य की प्रतिभा कुंठित हो रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गांधी मैदान, गर्दनीबाग स्टेडियम अथवा वीर कुंवर सिंह मैदान में से किसी एक को फुटबॉल ग्राउंड के तौर पर निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र जारी करना

*1276. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सत्र 2013-15 के अंतर्गत राज्य के लगभग 66,000 नियोजित शिक्षकों को ए, बी, सी, डी बैच बनाकर ओ0 डी0 एल0 (ओपन डिसटेंस लर्निंग के तहत डी0 ई एल0 ईडी0) (डिप्लोमा इन इलेमेंट्री इडूकेशन) शिक्षक प्रशिक्षण दिलाया गया था, जिनकी अंतिम परीक्षा नवम्बर 2018 में ली गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन प्रशिक्षु शिक्षकों का परीक्षा परिणाम 31 मार्च, 2019 को जारी किया गया है जिसमें हजारों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों के पेंडिंग रिजल्ट को सुधार कर अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना

*1277. श्री राजकुमार राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान सभा के सभी उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्त नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की विषयवार पढ़ाई नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विधान सभा के उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण कराना

*1278. श्री (मो0) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरपुर प्रखंड के नटुआपाड़ा में स्थित गौसिया नूरपारा मदरसा सं0 466 का छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मदरसा में छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरे का निर्माण कराना

*1279. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के मिश्रौलिया अफजलपुर पंचायत में स्थित राम भरोसी पाण्डेय उच्च विद्यालय में कुल नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या 460 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में पठन-पाठन के लिए मात्र छः कमरा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त चार कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*1280. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा-1 प्रखंड के लगुनाहा, चौतरहा पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लगुनाहा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1281. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी ज़िला के चेरौत प्रखंड अन्तर्गत म० वि०, चेरौत उत्तरी में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय के अतिरिक्त भूमि पर विगत 5 वर्षों से दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा करके निजी दुकान बनाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय के अतिरिक्त भूमि पर अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराते हुये चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या रोकना

*1282. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड सहित संपूर्ण जिला में जंगली जानवारों नीलगाय, सुअर द्वारा किसानों के फसलों की क्षति की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन जानवरों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो किसानों को फसल क्षति से बचाने के लिये जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1283. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत कोईरिया पीपरा उच्च विद्यालय की जमीन पर स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय के प्रांगण में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से विभागीय पत्रांक 524, दिनांक 15 मई, 2017 पत्रांक 1365, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017, प्रथम स्मार 70, दिनांक 18 जनवरी, 2018, द्वितीय स्मार 572, दिनांक 11 अप्रील, 2018, तृतीय स्मार 1080, दिनांक 16 जुलाई, 2018, पत्रांक 1678, दिनांक 22 नवम्बर, 2018, पत्रांक 210, दिनांक 7 फरवरी, 2019, पत्रांक 479, दिनांक 7 मई, 2019 एवं पत्रांक 671, दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा प्रस्ताव की माँग की गयी है ।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

(2) उत्तर कंडिका (1) में सन्निहित है ।

(3) उत्तर कंडिका (1) में सन्निहित है ।

जाँच कराना

*1284. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा बिना बोर्ड की बैठक बुलाये पिछले छः माह में दो करोड़ रुपये की राशि व्यय किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राशि से पटना मुख्यालय एवं पूर्णियाँ कार्यालय हेतु सामग्री (उपस्कर) आदि की खरीदारी की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मदरसा बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*1285. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड के भगवानपुर रत्ती पंचायत के बालुकाराम ग्राम में स्थित बुनियादी विद्यालय भवनहीन होने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बुनियादी विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस चलाना

*1286. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सासाराम, करगहर, कोचस एवं दिनारा होते हुये पटना तक परिवहन विभाग की बस सेवा उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि करगहर, कोचस, दिनारा यात्रियों को पटना आने-जाने के लिये सासाराम जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सासाराम के करगहर, कोचस, दिनारा होते हुये पटना तक परिवहन विभाग की बस चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करना

*1287. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के वार्ड संख्या 11, 13, 14 और 17 में आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वार्ड में कबतक आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*1288. श्री अवधेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर प्रखंड में स्थित मानपुर उच्च विद्यालय का भवन निर्माण हेतु अंचल मानपुर, मौजा-कुकरा, थाना नं0-249, खाता नं0-114, 115 पुराना/1407, नया खेसरा-58, 71/06, रकबा 1.50 एकड़ भूमि उपलब्ध है, साथ ही एक करोड़ 20 लाख रुपये की राशि भी आवंटित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कार्य 15 मार्च, 2019 में प्रारंभ हुआ एवं पाँच दिन के बाद विभाग के उच्च पदाधिकारियों द्वारा कार्य बंद करा दिया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित उपलब्ध भूमि पर उच्च विद्यालय का निर्माण कराने एवं निर्माण कार्य बंद कराने वाले दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबततक, नहीं, तो क्यों ?

संग्रहालय बंद करने का औचित्य

*1289. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय में संग्रहालय निदेशालय द्वारा कारू खिरहड़ी प्रमंडलीय संग्रहालय वर्ष 2003-04 से संचालित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संग्रहालय पर्यटन होटल एवं पर्यटन सूचना केन्द्र की सुरक्षा हेतु मत्स्यगंधा झील पर पुलिस चौकी खोला गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 के अगस्त माह में संग्रहालय में चोरी हो जाने के कारण संग्रहालय बंद कर दिया गया;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो चोरी की घटना के सुरक्षात्मक उपायों के बदले संग्रहालय को बंद कर दिये जाने का क्या औचित्य है ?

योजना में शामिल करना

*1290. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रखी है जिसमें ''बैचलर ऑफ आप्टोमेट्री एवं औपथालमिक टेक'' कोर्स को शामिल नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कोर्स को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है जिसकी मान्यता नियुक्ति में दी जाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ''बैचलर ऑफ आप्टोमेट्री एण्ड औपथालमिक टेक'' कोर्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिसायकिलिंग कराकर बिजली निर्माण करना

*1291. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर बिहार के प्रत्येक जिलों में कुल मिलाकर एक हजार मेट्रिक टन कचरा का प्रतिदिन उठाव किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कचरे को रिसायकिलिंग कर बिजली का निर्माण किया जा सकता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कचरा का रिसायकिलिंग कराकर बिजली निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षारोपण कराना

*1292. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एन0 एच0 82 बिहारशरीफ से अस्थावाँ, बरबिगहा होते हुए सरमेरा एवं एस0 एच0 78 पाली-बिहटा से रहुई, बिन्द होते हुए सरमेरा तक पथ निर्माण कार्य में हजारों की संख्या में पेड़ की कटाई की गई है जबकि सड़क निर्माण कार्य हो चुका है फिर भी सड़कों के किनारे वृक्षारोपण अभीतक नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों पथों के दोनों तरफ वृक्षारोपण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि दिलाना

*1293. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा विज्ञान एवं प्रावैधिकी महाविद्यालय में 21 व्यक्तियों को आउट सोर्सिंग से सुरक्षा प्रहरी, माली एवं सफाई कर्मी के पद नियुक्त किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कर्मियों को महाविद्यालय द्वारा प्रतिमाह देय राशि 8,372 रुपया एवं 6,890 रुपया की जगह 3,300 से 4,500 रुपया तक ही खाते में दिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को महाविद्यालय द्वारा देय राशि से कम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं लाभुकों को महाविद्यालय द्वारा प्रतिमाह देय राशि दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमति देना

*1294. श्री (मोहम्मद) नवाज आलम--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के जीरो माईल के पास वीर कुँवर सिंह महाविद्यालय का पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास बनकर तैयार है, जिसमें कोई छात्र नहीं रहते हैं और ना ही इनको रहने की अनुमति दी जाती है, यदि हाँ, तो सरकार निर्मित छात्रावास में छात्रों को रहने की अनुमति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*1295. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड स्थित मुख्यालय के लोहिया चौक पर बस स्टैंड नहीं रहने के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्या ने अपने पत्रांक 14, दिनांक 21 अप्रील, 2018 के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को पत्र लिखकर वैकल्पिक बस पड़ाव का निर्माण करने की कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक फुलपरास में वैकल्पिक बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षारोपण कराना

*1296. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा से दरभंगा वाया बिरौल नव-निर्मित राज्य पथ में बलुआहा से बिरौल तक सड़क के किनारे वृक्षारोपण नहीं होने के कारण आम लोगों को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग में सड़क के किनारे वृक्षारोपण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षा रोपण कराना

*1297. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एस० एच० 90 के निर्माण हेतु छपरा से (महम्मदपुर) गोपालगंज (तक हजारों की संख्या में हरे वृक्ष काटे गये और अबतक विभाग द्वारा उक्त सड़क के किनारे वृक्षारोपण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार एस० एच० 90 के दोनों किनारे छपरा से (महम्मदपुर) गोपालगंज तक वृक्ष लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*1298. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखण्ड के कुसईया एवं मुशहराटांड गाँवों में विद्यालय नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्गकक्ष का निर्माण कराना

*1299. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रा० उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवाजीनगर तथा उच्च विद्यालय, वारिसनगर में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कक्षा हेतु कमरे नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक छात्र/छात्राओं के अनुपात में वर्गकक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क बनाना

*1300. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पताल के पास सरकारी जमीन खाली है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर पार्क बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1301. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के मझुआ पश्चिम पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, बरहरा में एक भी शिक्षक नहीं हैं यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*1302. श्री (डॉ०) सी० एन० गुप्ता--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत 1,200 बच्चों की परवरिश के तहत आवेदन आये जिसमें 893 लाभुकों के खाते में प्रत्येक माह रुपये भेजे जा रहे थे, लेकिन मार्च, 2018 के बाद आवंटन नहीं होने के कारण बच्चों की परवरिश योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लाभुकों को उक्त योजना की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करना

*1303. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड के नायक टोला पंचायत के हिरा टोला, वार्ड नं० 9 में सेविका पद हेतु अति पिछड़ा कोटा में 15 जून, 2017 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें सेविका पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 2017 को एकमात्र आवेदन जमा किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सेविका पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुझाव पर निर्णय लेना

*1304. श्री फैसल रहमान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं० 4862/2019 में 10 मई, 2019 को दिये गये निर्णय बिंदु 78 में बिहार सरकार को टी० ई० टी० जैसी परीक्षा द्वारा जाँची गई Threshold ability वाले Expert Teachers को Better Scale देने के लिये कार्यकारी विचार करने का सुझाव दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के ही बिंदु 80 में भी ऐसी परीक्षा पर जोर दिये बिना एक निश्चित अनुशंसित स्तर तक Scale Raise किये जाने तथा ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों के लिये Better Scale देने हेतु सुझाव बिहार सरकार को दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सुझाव पर निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अध्यापकों की नियुक्ति करना

*1305. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत का राजपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना फा० स० एन० सी० टी० ई० रेगु० 16 दिसम्बर, 2018 के 2ए के अनुसार ''जिसने एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उसपर कक्षा-1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा'' का उल्लेख है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिसूचना के आलोक में देश के अन्य राज्य यथा त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ आदि में शिक्षा स्नातक उपाधि प्राप्त को कक्षा-1 से 5 तक के अध्यापक के रूप में नियुक्ति की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा स्नातक को कक्षा-1 से 5 तक में अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

1971 के बाद खानदानी जमीन का बँटवारा रजिस्ट्री फीस 100 रुपये करना

*1306. डॉ० (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री 50 रुपया ऑफिस चार्ज और 50 रुपया स्टॉम्प लगा कर आपस में जमीन बँटवारा कर लेंगे ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1909 एवं 1971 में दो बार सर्वे हो कर खतियान बना जिसकी रजिस्ट्री 100 रुपया फीस पर लागू है, लेकिन 1971 के बाद जिन्होंने जमीन खरीदी, उनका खतियान नहीं बना, वो 100 रुपया फीस में जमीन का बँटवारा नहीं कर सकते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 1971 के बाद की खानदानी जमीन का भी बँटवारा रजिस्ट्री 100 रुपये फीस पर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः विभागीय अधिसूचना सं० 4008 एवं 4009 दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 द्वारा पारिवारिक/पैतृक सम्पत्ति के बंटवारा संबंधित विलेखों के निबंधन में निबंधन शुल्क 50 और स्टाम्प शुल्क 50 अवधारित है।

(2) अस्वीकारात्मक । ऐसी कोई सूचना नहीं है। भूमि बंटवारा से संबंधित विलेखों का निबंधन खतियान के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि दस्तावेज में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है।

(3) अस्वीकारात्मक । वस्तुतः कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

स्टेडियम का निर्माण

*1307. श्री राजू तिवारी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखण्ड में स्थित उच्च विद्यालय, पहाड़पुर एवं उच्च विद्यालय, नोनेया में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालयों में स्थित भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय पत्रांक 524, दिनांक 15 मई, 2017, पत्रांक 1370, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017, प्रथम स्मार 65, दिनांक 18 जनवरी, 2018, द्वितीय स्मार-577, दिनांक 11 अप्रैल, 2018, पत्रांक 1658, दिनांक 22 नवम्बर, 2018, पत्रांक 201, दिनांक 7 फरवरी 2019, पत्रांक 480, दिनांक 7 मई, 2019 एवं पत्रांक 671, दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा प्रस्ताव की माँग की गयी है ।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

जीर्णोद्धार कराना

*1308. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत फरकिया के ग्राम-फरकिया में वर्ष 1931 ई० में नवाब सिराजुद्दौला के मौसेरे भाई सैफ अली खान के शासनकाल में निर्मित ऐतिहासिक मस्जिद बाबरी मस्जिद की तरह का मस्जिद है, जो जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस उपलब्ध कराना

*1309. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकर, सहदेई, देसरी प्रखंड से जिला मुख्यालय हाजीपुर जाने के लिये राज्य परिवहन निगम की बस का संचालन नहीं होने से वहां के आम यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राजापाकर, सहदेई, देसरी प्रखंडों से जिला मुख्यालय हाजीपुर जाने हेतु परिवहन निगम की बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1310. श्रीमती पूनम देवी यादव--स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 18 जून, 2019 को प्रकाशित खबर शीर्षक ''मानसी बाजार से गुजर रहे ओवरलोड वाहन छू रहे बिजली के तार, दुर्घटना की आशंका'' क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मानसी बाजार से आवेरलोड वाहन बिजली के तार से घिसते हुये निकलता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने एवं इसके परिचालन के लिए दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*1311. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के महमूदिया सिमरिया थाना के कजरैली में सरकारी मदरसा स्थापित है, जहां विगत पाँच वर्षों से पठन-पाठन किये बिना डिग्री हेतु फार्म भरवाने का कार्य हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा का चार से पाँच बीघा पैदावार की जमीन एवं छः आम का बगीचा है, जिससे सलाना आय पाँच से छः लाख रुपया होता है, जिसके व्यय का ब्यौरा कमिटी द्वारा नहीं दिया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त मदरसा में सरकार द्वारा विकास कार्यों के मद में उपलब्ध करायी गयी राशि को भी मदरसा के विकास में व्यय नहीं किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसा कमिटी को भंग कर नई कमिटी का गठन के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना

*1312. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत गुठनी प्रखण्ड के ग्राम बेलौड़ी में स्थित उच्च विद्यालय की स्वीकृति वर्ष 2013-14 में दी जा चुकी है, परंतु विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण शिक्षण कार्य बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते हुये शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास का भवन निर्माण

*1313. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर ने ज्ञापांक एक्स-6/09 अं० 277, दिनांक 29 अगस्त, 2017 द्वारा समस्तीपुर जिला में अवस्थित मोडल इन्टर विद्यालय प्रांगण में अल्पसंख्यक छात्रावास भवन ब्यॉयज निर्माण हेतु 50 डी० जमीन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग से माँगा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने पत्रांक 129ए, दिनांक 21 अप्रैल, 2018 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को सम्बोधित पत्र में यह जानकारी दी है कि विद्यालय के पास मात्र खेल का मैदान वाली जमीन शेष है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवन व अन्य निर्माण के बाद विद्यालय के पास 1.75 एकड़ खाली जमीन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलत जानकारी देने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं उक्त स्कूल प्रांगण में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*1314. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ प्रखंडान्तर्गत मध्य विद्यालय, बहादी बिगहा की जर्जर भवन की मरम्मती हेतु वर्ष 2009-10 में 5 लाख 65 हजार राशि आवंटित की गयी थी, जिसे बिना जर्जर भवन की मरम्मती कराये प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित पदाधिकारियों की मिलीभगत से पूरी राशि का गबन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुये जर्जर भवन की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*1315. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, चक्का पिररी एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कपछाही में एक भी विषय शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालयों मे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1316. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीबरावाँ प्रखण्ड स्थित इंटर विद्यालय, पकरीबरावाँ में एक खेल मैदान है जिसमें खेल कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिले के पकरीबरावाँ प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा से विभागीय पत्रांक 524, दिनांक 15 मई, 2017, पत्रांक 1352, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017, प्रथम स्मार 83, दिनांक 18 जनवरी, 2018, द्वितीय स्मार 597, दिनांक 11 अप्रैल, 2018, पत्रांक 1652, दिनांक 22 नवम्बर, 2018, पत्रांक 198, दिनांक 7 फरवरी 2019, पत्रांक 467, दिनांक 7 मई, 2019 एवं पत्रांक 671, दिनांक 21 जून, 2019 द्वारा प्रस्ताव की माँग की गयी है ।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*1317. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के नगर पंचायत के वार्ड 3 में स्थित मध्य विद्यालय भवनहीन है, जबकि सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा निर्माण कराना

*1318. श्रीमती रेखा देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित नन्दकेश्वर +2 उच्च विद्यालय, बहरामपुर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु कमरा उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन्हें कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*1319. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के चरपोखरी प्रखण्ड अन्तर्गत ठकुरी पंचायत के ग्राम-धूवडीहा में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय में आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है जिससे छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण कराना

*1320. श्रीमती रंजू गीता--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बाजपट्टी विधान सभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रबंध समिति का गठन एवं दोषी पर कार्रवाई

*1321. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय, सिरीस तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पौथू में अभीतक प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन एवं विलम्ब के लिये दोषी विद्यालय प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक नियुक्त कर पठन-पाठन सुचारु रूप से चलाना

*1322. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गायघाट उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हरसिद्धि सहित हरसिद्धि विधान सभा के सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नहीं रहने के कारण पठन-पाठन का कार्य बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में सिर्फ फार्म भरने एवं परीक्षाफल प्रमाण-पत्र देने का हीं कार्य किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हरसिद्धि विधान सभा के सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त कर पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*1323. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी विधान सभा क्षेत्र का देवरा बाजार जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है, परन्तु उक्त बाजार से कोंच होते हुये गया आने-जाने हेतु बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण आमलोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार देवरा बाजार से कोंच होते हुये गया के लिये सरकारी बस का परिचालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*1324. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों की मोनिटरिंग के लिये वर्ष 2011 में आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका की, की गई नियुक्ति संबंधी मेधा सूची में पिछड़ी जाति के कोटा के अभ्यर्थी की जगह पर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नियुक्ति की जाँच कराते हुये अनियमितता करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर पिछड़े वर्ग के कोटि के अभ्यर्थी की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*1325. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड में बदुआ नदी के सहौरा घाट से बालू का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के बदुआ नदी से बालू उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के लिये खनन विभाग द्वारा बन्दोबस्त नहीं किया गया है, बावजूद इसके बालू का अवैध उत्खनन प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध खनन को बंद करने एवं बालू उत्खनन के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कक्षा भवन का निर्माण कराना

*1326. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित एस0 एस0 बालिका इंटर उच्च विद्यालय, नाथनगर में 2,400 छात्राएँ पठन-पाठन आठ कमरा में कर रही है, नामांकित छात्राओं के अनुपात में कक्षा भवन नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में 12 कक्षा भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्याप्त कक्षा का निर्माण कराना

*1327. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उच्च विद्यालय, सिरोपट्टी खतुआहा तथा उच्च विद्यालय, हॉसोपुर में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कक्षा हेतु कमरे नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में पर्याप्त कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण कराना

*1328. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आरा, भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत पसौर पंचायत के ग्राम-अमोरजा स्थित उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं का विद्यालय में आने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण के साथ-साथ चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*1329. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में 101 बुनियादी केन्द्रों का निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के परामर्शी, आर्किटेक्टों कान्सलटेन्ट (1) प्रा0 लि0 द्वारा गलती से प्राक्कलन में उपयोग किये जाने वाले सिमेन्ट एवं स्टील दरों पर उत्पाद शुल्क को सम्मिलित किया गया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्त पोषित परियोजना हेतु आपूर्ति की गई सामग्री उत्पाद कर से मुक्त रहता है, क्योंकि यह योजना विश्व बैंक संपोषित था, जिससे 5.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय विभाग का हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बुनियादी केन्द्रों के भवन निर्माण में हुये अतिरिक्त व्यय पर दोषियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*1330. श्री सुबेदार दास--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड स्थित नगर पंचायत के वार्ड संख्या-9 में प्राथमिक विद्यालय, महमदपुर का विद्यालय भवन विगत् 10 वर्षों से जर्जर रहने से अध्ययनरत छात्र-छात्रायें खुले आसमान के नीचे पठन-पाठन करने को विवश है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*1331. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर प्रखंड के विशुनपुर के घाट पर अवैध बालू का खनन् किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार अवैध खनन् को रोकने एवं उक्त कृत्य के लिये दोषी पदाधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1332. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत हवेली खड़गपुर प्रखंड के रमनाबाद पूर्वी पंचायत स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय, खैरा भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1333. श्री विजय प्रकाश--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायत शिक्षक नियोजन पैनल निर्माण समिति में मुखिया, पंचायत सचिव, शिक्षा समिति के अध्यक्ष, एक वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा उच्च विद्यालय के मनोनीत एक शिक्षक सहित कुल छः सदस्य होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि है जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड के दाविल पंचायत में वर्ष 2006-07 में शिक्षक नियोजन के समय मात्र तीन सदस्य मुखिया, पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य ही उपस्थित थे और रजिस्टर पर भी उन्हीं तीनों का हस्ताक्षर है ;

(3) क्या यह बात सही है कि महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई को उपर्युक्त मामले की जाँच का आदेश दिया गया है, परंतु आजतक कोई जाँच नहीं हुई ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनियमित नियुक्ति की जाँच कर नियुक्तिकर्ता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1334. श्री संजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड काराकाट में प्राथमिक विद्यालय नईभूम का वर्ष 2012-13 में सरकारीकरण हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन नहीं रहने के कारण सामुदायिक भवन में संचालित है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण

*1335. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के 10+2 विद्यालय, नरहरपुर एवं 10+2 विद्यालय, मढ़ौरा का भवन जर्जर है एवं साथ-साथ वर्ग कक्ष की कमी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों की मरम्मती एवं छात्र-छात्राओं के अनुपात में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन

*1336. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड में 6 माह से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं रहने से विभागीय दैनिक कार्य निष्पादन करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् शवदाह गृह निर्माण

*1337. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में विद्युत् शवदाह गृह खोलने का निर्णय लिया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड के धमौरा, सिकरहाना नदी के किनारे तथा योगापट्टी प्रखंड में फतेहपुर, सोनामाई स्थान, हारहा के किनारे विद्युत् शवदाह गृह निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस चलाना

*1338. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर एवं बारून प्रखंड मुख्यालय से सरकारी बस उपलब्ध नहीं रहने के कारण यात्रियों को पटना आने-जाने में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड मुख्यालयों से सरकारी बस सेवा चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना :
दिनांक 16 जुलाई, 2019 (ई०)।

बि०स०मु० 38 (एल०ए०), 2019-20 डी०डी०पी०-550